


65



न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्र. /2016 निगरानी निग. 2019-I-16

- (1) मंगल सिंह, पुत्र श्री घनसुन्दर सिंह,
- (2) मातादीन, पुत्र श्री घनसुन्दर सिंह

निवासीगण ग्राम हतलई तहसील व जिला दतिया म.प्र.

..... निगरानीकर्ता

बनाम

- (1) अमर सिंह रावत, पुत्र हम्मीर सिंह रावत.
निवासी ग्राम हतलई तहसील व जिला-दतिया म.प्र.

.....प्रतिनिगरानीकर्ता

- (2) चतुर सिंह रावत पुत्र श्री घनसुन्दर सिंह,
 - (3) रघुवीर सिंह, पुत्र श्री घनसुन्दर सिंह,
 - (4) पंचम सिंह, पुत्र मंगल सिंह,
 - (5) लोकेन्द्र सिंह, पुत्र मंगल सिंह,
- उपरोक्त समस्त निवासीगण ग्राम हतलई जिला दतिया म.प्र.

.....तरतीबी निगरानीकर्ता

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 13.06.2016 प्रकरण क्र. 41/अपील/2015-16 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया म.प्र.।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1. यह कि, प्रतिनिगरानीकर्ता क्र. 1 अमर सिंह द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत ग्राम पंचायत हतलई द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2014 के प्रस्ताव क्र. 6 के विरुद्ध इस आशय की प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त की सहमति व अनुमति के बिना अपीलान्त एवं रिस्पोंटेड के मध्य बटवारा कर दिया जिसकी

मंगल सिंह
मातादीन

श्री रमेश चंद्र यादव (सं.)
 द्वारा आज दि. 24/6/16
 प्रस्तुत
24/6/16


24/6/14
24/6/14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-2019-एक/2016

जिला-दतिया

मंगल सिंह व अन्य विरुद्ध अमर सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक के हस्ताक्षर
17-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया, जिला-दतिया के प्रकरण क्रमांक 41/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला-दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 07-08-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right"> (आर0के0 जैम) 6119 सदस्य</p>